अनुदान संख्या 97 – जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय
GRANT No. 97 - MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
राजस्वः	**Revenue:**				
प्रभारित–	*Charged-*		*1,00,00*	..	*-1,00,00*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*1,00,00*
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	8188,51,00	8188,57,00	7132,82,34	-1055,74,66
पूरक	Supplementary	6,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				1062,08,00
पूंजीगतः	**Capital:**				
प्रभारित–	*Charged-*		*1,00*	..	*-1,00*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*1,00*
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	730,87,00	730,88,00	325,09,45	-405,78,55
पूरक	Supplementary	1,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				404,05,00

टीका और टिप्पणियां	***Notes and comments***
1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, *₹100.00 लाख* का *विनियोग* एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्ण रूप से अप्रयुक्त रहा और अंततः उसे अभ्यर्पित किया गया था।	1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, *appropriation* of *₹100.00 lakhs* remained wholly unutilized under one head and was eventually surrendered.
2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, अभ्यर्पित राशि (₹106208.00 लाख) ₹105574.66 लाख की कुल बचतों से अधिक हो गईं।	2. In the voted portion of the revenue section of the grant, the amount surrendered (₹106208.00 lakhs) exceeded the overall savings of ₹105574.66 lakhs.
बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–	Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "3451" सचिवालय – आर्थिक सेवाएं	Major Head "3451" Secretariat - Economic Services				
मू.	O.	9500.00			
पू.	S.	1.00	7954.42	7985.22	+30.80
पु.	R.	-1546.58			
मुख्य शीर्ष "2552" पूवोत्तर क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	33470.00			
			1.49	..	-1.49
पु.	R.	-33468.51			
मुख्य शीर्ष "2701" मध्यम सिंचाई	Major Head "2701" Medium Irrigation				
मू.	O.	337665.00			
पू.	S.	2.00	217381.76	217976.07	+594.31
पु.	R.	-120285.24			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2702"	Major Head "2702"				
लघु सिंचाई	Minor Irrigation				
मू.	O.	33079.00	30637.90	30641.93	+4.03
पु.	R.	-2441.10			
मुख्य शीर्ष "2711"	Major Head "2711"				
बाढ़ नियंत्रण और जल निकासी	Flood Control and Drainage				
मू.	O.	19686.00	20859.60	20883.77	+24.17
पु.	R.	1173.60			
मुख्य शीर्ष "3075"	Major Head "3075"				
अन्य परिवहन सेवाएं	Other Transport Services				
मू.	O.	12506.00	6439.00	6425.97	-13.03
पु.	R.	-6067.00			
मुख्य शीर्ष "3435"	Major Head "3435"				
पारिस्थितिकी और पर्यावरण	Ecology and Environment				
मू.	O.	307000.00	230752.00	230750.00	-2.00
पू.	S.	2.00			
पु.	R.	-76250.00			
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"				
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in aid to State Governments				
मू.	O.	63925.00	198622.83	198619.38	-3.45
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	134696.83			

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3602" विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3602" Grants-in aid to Union Territory Governments with Legislature				
मू.	O.	2020.00			
			..	..	..
पु.	R.	-2020.00			

(I) ₹35597.00 लाख का प्रावधान (जुलाई, 2018 में प्राप्त किए गए ₹2.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) पंद्रह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से ₹34990.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:–

(का) मुख्य शीर्ष "2552" –

(क) "बाढ़ नियंत्रण – अन्य – व्यय – नदी बेसिन प्रबंधन" – ₹11288.00 लाख;

(ख) "सामान्य (मध्यम सिंचाई) – अन्य व्यय" –

(i) "जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास" – ₹3333.00 लाख;

(ii) "प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (हर खेत को पानी)" – 10000.00 लाख;

(iii) "मानव संसाधन विकास / क्षमता निर्माण" – ₹1369.00 लाख;

(I) Provision of ₹35597.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹2.00 lakhs obtained in July, 2018) remained wholly unutilized under fifteen heads; of these ₹34990.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "2552" -

(a) "Flood Control - Other Expenditure - River Basin Management" - ₹11288.00 lakhs;

(b) "General (Medium Irrigation) - Other Expenditure" -

(i) "Development of Water Resources Information System" - ₹3333.00 lakhs;

(ii) "Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana (Har Khet Ko Pani)" - ₹10000.00 lakhs;

(iii) "Human Resource Development/ Capacity Building" - ₹1369.00 lakhs;

(iv) "बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम" – ₹2000.00 लाख;

(ग) "सामान्य (मध्यम सिंचाई) – अनुसंधान – राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना" – ₹2000.00 लाख; और

(घ) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम" – ₹3000.00 लाख।

उपर्युक्त सात शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने तथा शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(खा) मुख्य शीर्ष "3602" – "केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें – केंद्रीय सहायता/हिस्सा – बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम" – ₹2000.00 लाख – संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण।

(II) मुख्य शीर्ष "3451" – "सचिवालय – जल संसाधन मंत्रालय" के अंतर्गत – ₹1231.90 लाख की बचत (₹7617.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, पाकिस्तान के साथ विवाद पर अंतर्राष्ट्रीय सुनवाई के लंबित रहते और एचई किशनगंगा कंपोनेंट के लिए निधियों का उपयोग न होने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "2701" – "सामान्य" के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(का) "डाटा संग्रहण – केंद्रीय जल आयोग" – ₹2593.82 लाख की बचत (₹15611.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, कम दौरे किए जाने, चिकित्सा दावों की कम प्राप्ति और मरम्मत तथा अनुरक्षण के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(iv) "Flood Management and Border Area Programme" - ₹2000.00 lakhs;

(c) "General (Medium Irrigation) - Research - National Hydrology Project" - ₹2000.00 lakhs; and

(d) "Tribal Area Sub-Plan - Flood Management and Border Area Programme" - ₹3000.00 lakhs.

Provisions under the above seven heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(B) Major Head "3602" - "Centrally Sponsored Schemes - Central Assistance/Share - Flood Management and Border Area Programme"- ₹2000.00 lakhs - due to non-receipt of proposals from the Union Territory Governments.

(II) Under Major Head "3451" - "Secretariat - Ministry of Water Resources" - saving of ₹1231.90 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7617.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, non-utilization of funds towards HE Kishenganga Component and pending international hearings on dispute with Pakistan.

(III) Under Major Head "2701" - "General" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Data Collection - Central Water Commission" - saving of ₹2593.82 lakhs (against the sanctioned provision of ₹15611.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, less tours undertaken, receipt of less medical claims and requirement of less funds towards repair and maintenance.

(खा) “अनुसंधान” –

(क) “राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान” – ₹550.00 लाख की बचत (₹2650.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) लेखापरीक्षित लेखों को और वार्षिक सामान्य बैठकों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(ख) “केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान स्टेशन” – ₹1867.82 लाख की बचत (₹9380.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, चिकित्सा दावों की कम प्राप्ति होने, कम दौरे किए जाने और परिकल्पित कार्यकलापों को मूर्त रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(ग) “राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना” – ₹13054.99 लाख की बचत (₹20696.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यालय देखरेख/लेखन सामग्री मदों/बैठकों/कार्यशालाओं के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने, कम दौरे किए जाने, कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा बोली दस्तावेजों को अंतिम रूप न दिए जाने और परिकल्पित कार्यकलापों को मूर्त रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(घ) “राष्ट्रीय जल मिशन अनुसंधान और विकास तथा कार्यान्वयन” – ₹2864.72 लाख की बचत (₹8200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, नियमित कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति, कम चिकित्सा दावों की प्राप्ति, कम दौरे किए जाने और परिकल्पित कार्यकलापों को मूर्त रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(गा) “सर्वेक्षण तथा जांच – केंद्रीय जल आयोग” – ₹1165.83 लाख की बचत (₹2544.15 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(घा) “परामर्श सेवा – केंद्रीय जल आयोग” – ₹2125.68 लाख की बचत (₹5540.75 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

(B) “Research” -

(a) “National Institute of Hydrology” - saving of ₹550.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2650.00 lakhs) was due to non-finalization of audited accounts and Annual General Meetings.

(b) “Central Water and Power Research Station” - saving of ₹1867.82 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9380.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, receipt of less medical claims, less tours undertaken and non-materialization of envisaged activities.

(c) “National Hydrology Project” - saving of ₹13054.99 lakhs (against the sanctioned provision of ₹20696.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards office maintenance/stationery items/meetings/workshops, less tours undertaken, non-finalization of bid documents by the implementing agencies and non-materialization of envisaged activities.

(d) “Research and Development and Implementation of National Water Mission” - saving of ₹2864.72 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8200.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, retirement of regular employees, receipt of less medical claims, less tours undertaken and non-materialization of envisaged activities.

(C) “Survey and Investigation - Central Water Commission” - saving of ₹1165.83 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2544.15 lakhs); and

(D) “Consultancy - Central Water Commission” - saving of ₹2125.68 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5540.75 lakhs).

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत रिक्त पदों को न भरे जाने, नियमित कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति होने, कम चिकित्सा दावे प्राप्त होने, कम दौरे किए जाने, कार्यालय देखरेख, लेखन सामग्री मदों के लिए कम निधियों की आवश्यकता और परिकल्पित कार्यकलापों को मूर्त रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(ङ.) "अन्य व्यय" –

(क) "जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास" – ₹5636.39 लाख की बचत (₹12233.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यालय देखरेख/लेखन सामग्री मदों/बैठकों/कार्यशालाओं/किराया, दरों और करों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने, कम दौरे किए जाने, कम व्यावसायिकों को भाड़े पर लेने और परिकल्पित कार्यकलापों को मूर्त रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(ख) "बांध पुनर्वास तथा सुधार कार्यक्रम" – ₹1998.47 लाख की बचत (₹5290.00 लाख के स्वींकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यालय देखरेख/लेखन सामग्री मदों/बैठकों/कार्यशालाओं के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने, कम दौरे किए जाने, कम व्यावसायिकों को भाड़े पर लेने और परिकल्पित कार्यकलापों को मूर्त रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(ग) "मानव संसाधन विकास/क्षमता निर्माण" – ₹730.58 लाख की बचत (₹3050.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परिकल्पित कार्यकलापों को मूर्त रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(घ) "नदी बेसिन प्रबंधन" – ₹2322.72 लाख की बचत (₹11056.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, केन बेत्वा तथा अन्य अंतरसम्बद्ध परियोजनाओं को धीमी गति से अंतिम रूप दिए जाने और परिकल्पित कार्यकलापों को मूर्त रूप न दिए जाने के कारण हुई।

Savings under the above two heads were due to was due to non-filling up of vacant posts, retirement of regular employees, receipt of less medical claims, less tours undertaken, requirement of less funds towards office maintenance, stationery items and non-materialization of envisaged activities.

(E) "Other Expenditure" -

(a) "Development of Water Resources Information System" - saving of ₹5636.39 lakhs (against the sanctioned provision of ₹12233.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards office maintenance/ stationery items/meetings/workshops/rent, rates and taxes, less tours undertaken, hiring of less professionals and non-materialization of envisaged activities

(b) "Dam Rehabilitation and Improvement Programme (DRIP)" - saving of ₹1998.47 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5290.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards office maintenance/ stationery items/meetings/workshops, less tours undertaken, hiring of less professionals and non-materialization of envisaged activities.

(c) "Human Resource Development/Capacity Building" - saving of ₹730.58 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3050.00 lakhs) was due to non-materialization of envisaged activities.

(d) "River Basin Management" - saving of ₹2322.72 lakhs (against the sanctioned provision of ₹11056.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, slow pace of finalization of Ken Betwa and other interlinking projects and non-materialization of envisaged activities.

(ङ.) "प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (हर खेत को पानी)" – ₹86981.25 लाख की बचत (₹230000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नाबार्ड को ब्याज की अदायगी के लिए कम निधियों की आवश्यकता और कम व्यावसायिकों को भाड़े पर लिए जाने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष "2702" – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:–

(का) "सतही पानी – जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – भूजल प्रबंधन तथा विनियमन" – ₹516.58 लाख की बचत (₹900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम चिकित्सा दावे प्राप्त होने, कम परामर्शदाताओं को भाड़े पर लिए जाने और परिकल्पित कार्यकलापों को मूर्त रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(खा) "भूजल – जांच – केंद्रीय भूजल बोर्ड" – ₹1517.74 लाख की बचत (₹24200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, कम चिकित्सा दावे प्राप्त होने और कम दौरे किए जाने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष "2711" – "बाढ़ नियंत्रण – अन्य व्यय" के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:–

(का) "केंद्रीय जल आयोग" – ₹3583.35 लाख की बचत (₹12926.50 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(खा) "बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम" – ₹3796.48 लाख की बचत (₹5905.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें रिक्त पदों को न भरे जाने, कम चिकित्सा दावे प्राप्त होने, कम दौरे किए जाने और परिकल्पित कार्यकलापों को मूर्त रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(VI) मुख्य शीर्ष "3075" – "नदी प्रशिक्षण कार्य – फरक्का परियोजना" – के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के तहत हुईं:–

(e) "Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana (Har Khet Ko Pani)" - saving of ₹86981.25 lakhs (against the sanctioned provision of ₹230000.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards interest payment to NABARD and hiring of less professionals.

(IV) Under Major Head "2702" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Surface Water - Tribal Area Sub-Plan - Ground Water Management and Regulation" - saving of ₹516.58 lakhs (against the sanctioned provision of ₹900.00 lakhs) was due to receipt of less medical claims, hiring of less consultants and non-materialization of envisaged activities.

(B) "Ground Water - Investigation - Central Ground Water Board" - saving of ₹1517.74 lakhs (against the sanctioned provision of ₹24200.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, receipt of less medical claims and less tours undertaken.

(V) Under Major Head "2711" - "Flood Control - Other Expenditure" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Central Water Commission" - saving of ₹3583.35 lakhs (against the sanctioned provision of ₹12926.50 lakhs); and

(B) "Flood Management and Border Areas Programme" - saving of ₹3796.48 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5905.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-filling up of vacant posts, receipt of less medical claims, less tours undertaken and non-materialization of envisaged activities.

(VI) Under Major Head "3075" - "River Training Works - Farakka Project" - savings occurred under the following heads:-

(का) "फीडर नहर" – ₹542.52 लाख की बचत (₹1187.96 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, कार्य–प्रभारित स्टाफ की सेवानिवृत्ति और एफबीपी स्कूल और अस्पताल का मरम्मत कार्य पूरा न होने के कारण हुई।

(A) "Feeder Canal" - saving of ₹542.52 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1187.96 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, retirement of work charged staff and non-completion of repair work of FBP School and hospital.

(खा) "फरक्का बैराज" – ₹5316.01 लाख की बचत (₹10981.60 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने और कम परामर्शदाताओं को भाड़े पर लिए जाने के कारण हुई।

(B) "Farakka Barrage" - saving of ₹5316.01 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10981.60 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and hiring of less consultants.

(VII) मुख्य शीर्ष "3435" – "प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण – राष्ट्रीय नदियों के प्रदूषण की रोकथाम – राष्ट्रीय गंगा योजना" के अंतर्गत – ₹161250.00 लाख की बचत (₹225000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के पास पिछले वर्ष के अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण हुई।

(VII) Under Major Head "3435" - "Prevention and Control of Pollution - Prevention of Pollution of National Rivers - National Ganga Plan" - saving of ₹161250.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹225000.00 lakhs) was due to availability of unspent balance of previous year with National Mission for Clean Ganga.

(VIII) तीन शीर्षों के अंतर्गत ₹953.97 लाख की बचतें हुईं, जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक तथा स्वीकृत प्रावधान का 30 प्रतिशत से 79 प्रतिशत थीं।

(VIII) Under three heads savings of ₹953.97 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs and constituting 30 percent to 79 percent of the sanctioned provision.

3.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹135000.00 लाख) प्रयुक्त हो गई जैसाकि जुलाई, 2018 और दिसंबर, 2018 में निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के तहत ₹3.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:–

3.(I) The above savings were partly (₹135000.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹3.00 lakhs in July, 2018 and December,2018 under the following major heads: -

(का) मुख्य शीर्ष "3435" – "प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण – राष्ट्रीय नदियों के प्रदूषण की रोकथाम – राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना" – ₹85000.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹84998.00 लाख था।

(A) Major Head "3435" - "Prevention and Control of Pollution - Prevention of Pollution of National Rivers - National River Conservation Plan" - ₹85000.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹84998.00 lakhs.

(खा) मुख्य शीर्ष "3601" – "राज्यों को अन्य अंतरण/अनुदान – विशेष सहायता – प्रायः सूखा संभावित क्षेत्रों में कृषि आपदा के समाधान के लिए सिंचाई परियोजना हेतु विशेष पैकेज" – ₹50000.00 लाख। तथापि, वास्ताविक अधिक व्यय, ₹49999.00 लाख था।

(B) "Major Head "3601" - "Other Transfer/ Grants to States - Special Assistance - Special package for Irrigation Project to address Agrarian Distress in Chronically Drought Prone Areas" - ₹50000.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹49999.00 lakhs.

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं थीं:–

(का) मुख्य शीर्ष "2701" – "सामान्य" –

(क) आरक्षित निध/जमा लेखे को अंतरण – ऊपरी यमुना नदी बोर्ड" – ₹969.76 लाख का अधिक व्यय (₹2.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) ऊपरी यमुना नदी बोर्ड कार्यालय भवन के निर्माण के लिए राज्य सरकार अनुदान से निधियों का अंतरण ऊपरी यमुना नदी बोर्ड की स्कीम को किए जाने के कारण हुआ।

(ख) "अन्य व्यय" –

(i) "जल आयोजना स्कंध" – ₹642.43 लाख का अधिक व्यय (₹538.75 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(ii) "चिनाब बेसिन में जल–वैज्ञानिक सर्वेक्षण" – ₹1293.90 लाख का अधिक व्यय (₹638.60 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय केंद्रीय जल आयोग के कार्य–प्रभारित स्टाफ के वेतन के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(ग) "निदेशन और प्रशासन – मानव संसाधन विकास/क्षमता निर्माण" – ₹1369.00 लाख का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(खा) मुख्य शीर्ष "2711" – "बाढ़ नियंत्रण – अन्य व्यय – नदी बेसिन प्रबंधन" – ₹8891.00 लाख का अधिक व्यय (₹1.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपयुक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads: -

(A) Major Head "2701" - "General" -

(a) "Transfer to Reserve Fund/Deposit Account - Upper Yamuna River Board" - excess of ₹969.76 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2.00 lakhs) was due to transfer of funds from State Governments contribution towards the scheme of Upper Yamuna River Board for construction of Upper Yamuna River Board office building.

(b) "Other Expenditure" -

(i) "Water Planning Wing" - excess of ₹642.43 lakhs (against the sanctioned provision of ₹538.75 lakhs); and

(ii) "Hydrological Observations in Chenab Basin" - excess of ₹1293.90 lakhs (against the sanctioned provision of ₹638.60 lakhs).

Excess under the above two heads was due to requirement of additional funds towards salaries of work-charged staff of Central Water Commission.

(c) "Direction and Administration - Human Resource Development/Capacity Building" - excess of ₹1369.00 lakhs (against nil provision); and

(B) Major Head "2711" - "Flood Control - Other Expenditure - River Basin Management" - excess of ₹8891.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1.00 lakh).

Excess under the above two heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552"

पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(गा) मुख्य शीर्ष "3601" – "केंद्रीय प्रायोजित स्कीमें – केंद्रीय सहायता/हिस्सा" –

(क) "प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना" – ₹55858.55 लाख का अधिक व्यय (₹14293.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्वीकृत परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने और पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(ख) "बाढ़ प्रबंधन तथा सीमा क्षेत्र कार्यक्रम" – ₹28835.83 लाख का अधिक व्यय (₹39632.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वचनबद्ध देयताओं के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने और पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

4. अनुदान के पूंजीगत भाग के *प्रभारित* अंश में, *₹1.00 लाख* का *विनयोग* एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा और अंततः इसे अभ्यर्पित किया गया।

5. अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत हिस्से में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(C) Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes - Central Assistance/Share" -

(a) "Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana" - excess of ₹55858.55 lakhs (against the sanctioned provision of ₹14293.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards sanctioned projects and re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional head for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(b) "Flood Management and Border Area Programme" - excess of ₹28835.83 lakhs (against the sanctioned provision of ₹39632.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards committed liabilities and re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

4. In the charged portion of the capital section of the grant, *appropriation* of *₹1.00 lakh* remained wholly unutilized under one head and was eventually surrendered.

5. In the voted portion of the capital section of the grant, savings occurred under the following major heads: -

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "4552" पूवोत्तर क्षेत्रों पर पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	623.00	0.50	..	-0.50
पु.	R.	-622.50			
मुख्य शीर्ष "4701" मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4701" Capital Outlay on Medium Irrigation				
मू.	O.	17366.00			
पू.	S.	1.00	3742.00	3529.30	-212.70
पु.	R.	-13625.00			
मुख्य शीर्ष "4702" लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4702" Capital Outlay on Minor Irrigation				
मू.	O.	42293.00	22179.50	22227.66	+48.16
पु.	R.	-20113.50			
मुख्य शीर्ष "4711" बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4711" Capital Outlay on Flood Control Projects				
मू.	O.	4486.00	1760.00	1752.66	-7.34
पु.	R.	-2726.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "5075" अन्य परिवाहन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5075" Capital Outlay on Other Transport Services				
मू.	O.	8319.00	5001.00	4999.83	-1.17
पु.	R.	-3318.00			

(I) ₹1428.20 लाख का प्रावधान (जुलाई, 2018 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) सात शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹1325.00 लाख निम्नलिखित शीर्षों के तहत लेखाबद्ध किए गए:–

(I) Provision of ₹1428.20 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in July, 2018) remained wholly unutilized under seven heads; of these ₹1325.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "4552" – "अन्य व्यय – जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास" – ₹523.00 लाख – पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण।

(A) Major Head "4552" - "Other Expenditure - Development of Water Resources Information System" - ₹523.00 lakhs - due to re-appropriation of funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(खा) मुख्य शीर्ष "4701" – "सामान्य – अन्य व्यय – ऊपरी यमुना नदी बोर्ड" – ₹802.00 लाख – परिकल्पित कार्यकलापों को मूर्त रूप न दिए जाने के कारण।

(B) Major Head "4701" - "General - Other Expenditure - Upper Yamuna River Board" - ₹802.00 lakhs - due to non-materialization of envisaged activities.

(II) मुख्य शीर्ष "4701" – "सामान्य" – के अंतर्गत बचतें निम्न लिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:–

(II) Under Major Head "4701" - "General" - savings occurred under the following heads:-

(का) "अन्य व्यय" –

(A) "Other Expenditure"-

(क) "जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास" – ₹4228.28 लाख की बचत (₹5038.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मोटर वाहनों तथा मशीनरी उपकरणों की अधिप्राप्ति के प्रस्ताव को

(a) "Development of Water Resources Information System" - saving of ₹4228.28 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5038.00 lakhs) was due to non-approval of

अनुमोदन न मिलने के कारण हुई।

(ख) "बाँध पुनर्वास तथा सुधार कार्यक्रम" – ₹5468.57 लाख की बचत (₹7110.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) दामोदर घाटी निगम द्वारा कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(खा) "अनुसंधान"

(क) "राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना" – ₹2022.83 लाख की बचत (₹2304.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुईः–

(ख) "राष्ट्रीय जल मिशन संबंधी अनुसंधान और विकास तथा इसका कार्यान्वयन" – ₹708.89 लाख की बचत (₹1300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(III) मुख्य शीर्ष "4702" – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईंः–

(का) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – भूजल प्रबंधन और विनियमन" – ₹1802.07 लाख की बचत (₹2300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें मशीनरी और उपकरणों की अधिप्राप्ति के लिए प्रस्तावों का अनुमोदन न होने और परिकल्पित कार्यकलापों को मूर्त रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(खा) "अन्य व्यय – भूजल प्रबंधन तथा विनयमन" – ₹16945.51 लाख की बचत (₹35771.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मोटर वाहनों, मशीनरी और उपकरणों की अधिप्राप्ति के लिए प्रस्तावों का अनुमोदन न होने और परिकल्पित कार्यकलापों को मूर्त रूप न दिए जाने के कारण हुई।

proposals towards procurement of motor vehicles and machinery equipments.

(b) "Dam Rehabilitation and Improvement Programme (DRIP)" - saving of ₹5468.57 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7110.00 lakhs) was due to requirement of less funds by Damodar Valley Corporation.

(B) "Research"-

(a) "National Hydrology Project" - saving of ₹2022.83 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2304.00 lakhs);

(b) "Research and Development and Implementation of National Water Mission" - saving of ₹708.89 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1300.00 lakhs); and

(III) Under Major Head "4702" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Tribal Area Sub-Plan - Ground Water Management and Regulation" - saving of ₹1802.07 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2300.00 lakhs).

Savings under the above three heads were due to non-approval of proposals towards procurement of machinery and equipments and non-materialization of envisaged activities.

(B) "Other Expenditure - Ground Water Management and Regulation" - saving of ₹16945.51 lakhs (against the sanctioned provision of ₹35771.00 lakhs) was due to non-approval of proposals towards procurement of motor vehicles, machinery and equipments and non-materialization of envisaged activities.

(गा) "भूजल – अवसंरचना विकास" – ₹1259.25 लाख की बचत (₹4060.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(IV) मुख्य शीर्ष "4711" – "बाढ़ नियंत्रण – अन्य व्यय – अवसंरचना विकास" के अंतर्गत – ₹2521.20 लाख की बचत (₹4216.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्यक्त दो शीर्षों के अंतर्गत परिकल्पित कार्यकलापों को मूर्त रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष "5075" – "नदी प्रशिक्षण कार्य – फरक्का परियोजना – फरक्का बैराज" के अंतर्गत – ₹3317.97 लाख की बचत (₹8317.80 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मशीनरी और उपकरणों की अधिप्राप्ति के लिए प्रस्तावों का अनुमोदन न होने और परिकल्पित कार्यकलापों को मूर्त रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(C) "Ground Water - Infrastructure Development" - saving of ₹1259.25 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4060.00 lakhs); and

(IV) Under Major Head "4711"- "Flood Control - Other Expenditure - Infrastructure Development" - saving of ₹2521.20 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4216.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-materialization of envisaged activities.

(V) Under Major Head "5075" - "River Training Works - Farakka Project - Farakka Barrage" - saving of ₹3317.97 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8317.80 lakhs) was due to non-approval of proposals towards procurement of machinery and equipments and non-materialization of envisaged activities.